


फर्द अहकाम

अशोक कुमार तांबी बनाम कजोड़ वगै0

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:-

66/2024

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/3/25	<p>दिनांक 21/3/25 का आवकाना होने पर पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान के वकील उपस्थित। आज अभिभावक संघ फागी ने कार्य स्थगित किया है। पत्रावली मत आदेशानुसार दिनांक <u>6/6/25</u> को पेश होई</p>
<p>Not present रविवार</p>	6/5/25	<p>आज यह पत्रावली वहील शर्मा द्वारा तलब का पत्र पेश करने पर तलब ही गई। वहील शर्मा ने का. पत्र आस्थाई निषेधाज्ञा को नोटिस अंकित कर खारिज करने का निवेदन किया। एवं बताया कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। इसलिए का. पत्र आस्थाई निषेधाज्ञा को आज नहीं चलाना चाहते हैं। अतः शर्मा के अधिवक्ता द्वारा नोटिस के आधार पर का. पत्र आस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली केजल शुमार होकर दर्ज नं. स 808 दाखिल दफ्तर रहे।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर </p>